न्यायालय सत्र न्यायाधीश कुशीनगर स्थान–पडरौना।

सत्र परीक्षण संख्या–297/2015

राज्य प्रति भिरगूनाथ व अन्य

आरोप

मैं डी०के० श्रीवास्तव, सत्र न्यायाधीश कुशीनगर आप अभियुक्तगण भिरगूनाथ, बृजनन्दन, विनय कुमार, निरमा देवी एवं दूधनाथ को निम्न आरोपो से आरोपित करता हूं।

1–यह कि दिनांक 07–08–2014 को समय 8.00 बजे शाम बहद स्थान ग्राम खड्डा बुजुर्ग थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर में आप लोगो ने लाठी डण्डे व लोहे की राड से लैस होकर बल्वा किया। इसप्रकार आप लोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 147 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आपलोगो ने बल्लम भाला जैसे घातक हथियार से लैस होकर बल्वा किया। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 148 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आप लोगो ने सांप मारने की बात को लेकर कमलाती देवी, राकेश कुमार गोड़, एवं देवधारी को लाठी डण्डे व लोहे के राड से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आपलोगो ने वादी पशुपति गोंड़ की चाची कमलावती देवी को लाठी, बल्लम, भाला व लोहे के राड से मारा पीटा जिससे उसे गम्भीर चोटें आयीं। आप लोगो ने ऐसे ज्ञान और ऐसी परिस्थिति में उसे मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुंचाया कि यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती तो आपलोग हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 308/149 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आप लोगो ने राकेश गोंड़ व देवधारी को घर में घुसकर लाठी डण्डे व लोहे के राड से मारा पीटा। इसप्रकार आपलोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 452 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

6–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आप लोगो ने वादी के घर में रखे हुए सामानो को तोड़फोड़ कर नुकसान कर दिये। इसप्रकार आप लोगो ने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 427 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

7–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आपलोगो ने कमलावती देवी, राकेश कुमार गोंड़, एवं देवधारी को भद्दी–भद्दी गाली गुप्ता देकर अपमानित एवं प्रकोपित किया जिससे शान्ती भंग की आशंका उत्पन्न हो गयी थी। इसप्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

8–यह कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर आपलोगो ने कमलावती देवी, राकेश कुमार गोंड़, एवं देवधारी को जान माल की घुड़की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया।

इसप्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो भा०दं०सं० की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपलोगो को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपो के तहत आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

(डी०के० श्रीवास्तव)

दिनांक–01–07–2015

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपो से इन्कार किया तथा विचारण चाहा।

(डी०के० श्रीवास्तव)

दिनांक–01–07–2015

सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर